# <u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

## (1) अपील /टीए/499/2016/चित्तौडगढ

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बेगू जिला चित्तौडगढ़।
2– जिला कलेक्टर चित्तौडगढ़।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

मूलसिंह पुत्र गंगासिंह(मृतक) जरिए वारिसान :–
1– सदा कंवर बेवा मूलसिंह
2– नरपत सिंह पुत्र मूलसिंह
3– अमरसिंह पुत्र मूलसिंह
4– सायर कंवर पुत्री मूलसिंह
समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम लैड़ी, तहसील लाडनूं जिला नागौर हाल निवासी लुहारिया, तहसील बेगूं, जिला चित्तौडगढ़।

.....प्रत्यर्थीगण

## (2) अपील /टीए/4646/2021/चित्तौडगढ

1– सदा कंवर बेबा मूलसिंह
2– नरपतसिंह पुत्र मूलसिंह
3– अमरसिंह पुत्र मूलसिंह
4– सायर कंवर पुत्री मूलसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम लैडी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर हाल निवासी लुहारिया, तहसील बेगूं, जिला चित्तौडगढ़
जरिए मु0आम जगमालसिंह राठौड दत्तक पुत्र लक्ष्मण सिंह, जाति राजपूत निवासी दुगार, तहसील बेगू, जिला चित्तौडगढ।

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूं, चित्तौडगढ।
2– जिला कलक्टर, चित्तौडगढ।

..... प्रत्यर्थीगण

**<u>खण्ड पीठ</u>**
**श्री रामनिवास जाट, सदस्य**
**डॉ. महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य**

**<u>उपस्थितः–</u>**
(1) अपील /टीए/499/2016/ चित्तौडगढ में –
श्री हनुमान प्रसाद गुनार्डिया, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री अजीत लोढा अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

(2) अपील /टीए/4646/2021/चित्तौडगढ में –
श्री अजीत लोढा अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री हनुमान प्रसाद गुनार्डिया, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

(1) अपील /टीए/499/2016/चित्तौडगढ
(2) अपील /टीए/4646/2021/चित्तौडगढ

**निर्णय**

**दिनांकः- 21-02-2023**

उक्त दोनों अपीलें विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा अपील सं0 23/2013 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015 के विरूद्ध धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। उक्त दोनों अपीलों के तथ्य, विषय वस्तु समान होने से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संल्गन की जावे।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी मूलसिंह ने उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत एक वाद इस आश्य का प्रस्तुत किया कि ग्राम लुहारिया की भूमि खसरा नम्बर 112 में से 8 बीघा भूमि वादी को भूतपूर्व सैनिक होने से दिनांक 18.06.1976 को आवंटित की जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया था एवं तभी से वादी उक्त आराजियात का उपयोग, उपभोग करता चला आ रहा है। परंतु आवंटन के पश्चात् यह भूमि वादी के गैर खातेदारी में दर्ज नही की गई है तथा बिलानाम सरकार दर्ज होने से वादी ने उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 22.10.94 को आदेशित किया कि प्रीमियम की राशि बकाया हो तो वसूल की जाकर आराजीयात वादी के नाम दर्ज की जावे लेकिन भूमि वादी के नाम दर्ज नही की गई है जबकि वादी ने प्रीमियम की सम्पर्ण राशि अदा कर दी है। इसलिए वादी के पक्ष में खसरा नं0 112 में से 8 बीघा भूमि की खातेदारी की घोषित की जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी ने अस्वीकारोक्ति का वादोत्तर पेश किया और वादी का कब्जा होने से इंकार किया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बेगूं ने दिनांक 12.04.2012 को वाद पत्र सिद्ध नही होने से खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष अपील सं0 142/2012 प्रस्तुत की गई, जो कि सुनवाई के पश्चात् 30.04.2013 को अस्वीकार कर दी गई। इससे व्यथित होकर राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25.06.2015 से रिव्यू

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्होंने अपील सं0 142/2012 में पारित अपने पूर्व निर्णय दिनांक 30.04.2013 तथा उपखण्ड अधिकारी, बेगू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2012 को अपास्त किया साथ ही प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे अपीलांट के कब्जे काश्त की जांच कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय 25-6-2015 से व्यथित होकर दोनों हस्तगत अपीलें मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

4- विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते में कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 25-6-2015 की जानकारी तहसीलदार बेगू द्वारा जिला कलक्टर, चितौड़गढ़ को दिये जाने पर उन्होंने उक्त निर्णय का विधिक परीक्षण करवाने के बाद इस निर्णय को राज्य हित के विपरीत मानते हुए तहसीलदार, बेगू को राजस्व मण्डल में प्रकरण की पैरवी के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। प्रभारी अधिकारी के पास जिले के कई कार्य होने के कारण प्रकरण को राजस्व मण्डल में प्रस्तुत करने में देरी हुई है। अतः सद्भाविक कारण होने से देरी को कण्डोन किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे।

5- विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों को समुचित एवं संतोषप्रद कारण पाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर देरी को कण्डोन किया जाता है।

6- विद्वान अतिरिक्त अभिभाषक ने अपील-मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन चरागाह भूमि दर्ज है जिसका सार्वजनिक हित की भूमि होने के कारण ना तो आवंटन किया जा सकता है ओर ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी प्रदान की जा सकती है। उनका

कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि प्रत्यर्थी को विवादित भूमि का कभी कोई आवंटन नही किया और ना ही उसने भूमि आवंटन किए जाने के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की बल्कि वह विवादित भूमि का एक अतिक्रमी है। इसके अलावा वादी के मुख्त्यारनामा में खसरा ंनबर 108 व 112 में कांट छांट की गयी है फिर भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया। नजरसानी का स्कोप बहुत ही सीमित होता है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए पूर्व निर्णय में रेकार्ड पर ऐसी कोई दिखने वाली त्रुटि नही थी जिससे कि उनके निर्णय में पुनरावलोकन किया जावे किन्तु उन्होने सरसरी तौर पर पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रकरण को पुनः निर्णय हेतु परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड करने का आदेश प्रदान करने में भूल की है। अंत में उनका कथन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ का निर्णय दिनांक 25.06.2015 को निरस्त किया जाए तथा उनके द्वारा पारित किया गया पूर्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2013 व न्यायालय परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2012 को यथावत रखा जाए।

7- विद्वान अधिवक्ता सदा कंवर वगैरह ने अपील सं0 4646/2021 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया विवादित भूमि का आवंटन मूलसिंह को भूतपूर्व सैनिक होने के नाते किया गया है, उक्त आंवटन के विरूद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवाया गया है। आवंटन के उपरांत राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दर्ज करने का दायित्व प्रत्यर्थी सं0 1 अर्थात तहसीलदार का है किन्तु बार बार आवेदन करने के बाद भी राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज करने के बजाय घोषणात्मक वाद लम्बित रहते जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 21-4-2004 को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चरागाह हेतु आरक्षित करने में विधिक भूल की है। उन्होंने यह भी कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने मुख्त्यारनामा में खसरा नंबरो में कांट छांट पर सन्देह करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। परीक्षण न्यायालय ने तनकी सं0 1 के विवेचन में आवंटित भूमि पर वादी का कब्जा होना सिद्ध नहीं माना है जबकि उनके समक्ष नंगा के विवादित भूमि पर कब्जे होने के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने पूर्व

निर्णय दिनांक 30-04-13 में यथावत रखने में जो भूल की है, जो रिकार्ड के आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटि प्रतीत होने से अपीलीय न्यायालय ने पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उनका यह भी कथन है कि जब प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य सुस्पष्ट थे, तो उन्हे प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड नही करना चाहिए था अपितु मेरिटस पर ही प्रार्थी की अपील को स्वीकार कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय के विधि विपरीत फैसले को निरस्त करना चाहिए था। अतः अन्त में उनका निवेदन है कि द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 25-6-2015 जो कि केवल व केवल मात्र प्रकरण प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगू को प्रतिप्रेषित किये जाने की हद तक निरस्त फरमाया जावे।

8- हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

9- पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी मूलसिंह द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत वाद इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम लुहानिया में खसरा नंबर 112 रकबा 8 बीघा का जो आवंटन दिनांक 18-6-76 को किया गया था उस भूमि की गैर खातेदारी उसके नाम दर्ज नहीं की गई जिस पर उसके द्वारा बार बार जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को आवेदन किया गया किन्तु फिर भी उसके नाम गैर खातेदारी दर्ज न करने के कारण वाद पेश करना पड़ा है।

10- सहायक कलक्टर (एसडीओ), बेगू ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तीन तनकियात कायम की तथा उन पर विवेचना करते हुए यह पाया है कि पहला अधिकार पत्र (मुख्त्यारखास) प्रदर्श-10, जो कि मात्र पांच रूपये के स्टाम्प पेपर लिखा गया था, उसमें न तो किसी गवाह के हस्ताक्षर है, न ही वह किसी नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराया गया है। दूसरा मुख्त्यानामा 100/- रूपये स्टाम्प पेपर पर था परन्तु उसमें खसरा नंबर 108 को काटते हुए ओवरराईटिंग कर 112 लिखा गया है। उक्त दोनों मुख्त्यारनामों को उन्होंने अमान्य करार दिया है। वादी मूलसिंह को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानते हुए वर्ष 1989, 1992 व 1996

में नोटिस दिया गया जिससे उक्त समयावधि में वह अतिक्रमी सिद्ध था लेकिन उसके बाद लगातार वादी विवादित भूमि पर काबिज रहा हो इस आशय का वह कोई दस्तावेज परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी मूलयिंह पेश नहीं कर पाया है। भूमि पर नंगा पिता रामा बंजारा का अतिक्रमण होना दर्शाया गया है लेकिन इसका प्रमाण पेश नहीं किया गया है किन्तु वादी का कब्जा होने का भी प्रमाण नहीं है। उक्त विवेचन करते हुए हुए परीक्षण न्यायालय ने अन्त में यह निष्कर्ष अंकित किया है कि वादी आवंटन शुदा भूमि पर अपना लगतार कब्जा हेाना सिद्ध नहीं कर पाया है। अतः वादी अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाया है।

11– अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपील सं0 142/2012 में अपने निर्णय दिनांक 30–4–2013 में परीक्षण न्यायालय द्वारा बनाई गई तीनों तनकियों पर अपनी विवेचना करते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया है। अन्त में उन्होंने अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा वादी का नही है तथा राजस्व अभिलेख में भूमि चरागाह दर्ज होने से वादी घोषणत्मक अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

12– इसके बाद वादी द्वारा जब पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र (रिव्यू प्रार्थना पत्र) 23/2013 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश किया गया तो उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25–6–2015 द्वारा अपने पूर्व निर्णय से हटकर यह अंकित किया है कि मूलसिंह को जो आवंटन दिनांक 18–6–1976 को हुआ है, उस आवंटन के विरूद्ध किसी सक्षम न्याायलय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवाया गया है। आवंटन उपरान्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का दायित्व रेस्पोडेंट अर्थात सरकार या तत्कालीन तहसीलदार का है, अपीलांट द्वारा इसके लिए बार बार आवेदन करने के बाद भी नाम दर्ज नहीं होने से घोषणात्मक वाद लम्बित रहते जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 21–4–2004 को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चरागाह हेतु आरक्षित करने में वैधानिक त्रुटि की गई है, भूमि को बिलानाम सरकार अंकित का चरागाह दर्ज करने में त्रुटि की गई है । मुख्त्यारनामा 100/– में जो कांट छांट की गई है उस पर संदेह करने का समुचित कारण नहीं है। उक्त तथ्यों को अंकित करते हुए

उन्होंने पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार स्वीकार कर अपने पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30-4-2013 तथा परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 12-4-2012 को खारिज किया है।

13- पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2066-69 में खसरा नंबर 112 मी. रकबा 1.8280 बंजड आरिक्षत चारागाह अंकित है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2066-2069 में भी भूमि आरक्षित चारागाह दर्ज है। इससे यह सिद्ध होता है कि वर्ष 2009-2012 में भूमि की किस्म चरागाह दर्ज कर दी गई थी।

14- प्रकरण के समग्र अवलोकन से स्पष्ट है कि मूलसिंह ने जगमालसिंह दत्तक पुत्र लक्ष्मण सिंह को अपनी भूमि के संबंध में न्यायालयों में पैरवी करने के लिए 5/- रूपये का स्टाम्प पेपर पर मुत्यारनामा, बिना गवाह बिना नोटरी से तस्दीक कराये परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश किया तथा उस पर कोई कार्यवाही न होने के बाद मूलसिंह से पुनः 100/- के स्टाम्प पेपर पर को मुख्त्यारनामा बनाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया किन्तु खसरा नंबर में कांट छांट होने से वह भी न्यायालय द्वारा अमान्य करार किया गया है। परीक्षण न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30-4-2013 में तनकियों पर सही विवेचन करने हुए विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज होने से वादी का आवंटन शुदा भूमि पर लगातार कब्जा सिद्ध न होने से वाद वादी खारिज किया है।

15- विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को रिव्यू प्रार्थना पत्र में स्वयं के स्तर पर ही निर्णय करना चाहिए था क्योंकि समस्त दस्तावेज पत्रावली पर उनके समक्ष उपलब्ध थे। जबकि हमारे विनम्र मत में पत्रावली पर जो दस्तावेज उपलब्ध है उनसे यह स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटन शुदा भूमि पर वादी का निरन्तर कब्जा काश्त चल आ रहा है। बल्कि नायब तहसीलदार ,बेगू ने अपने जवाब पत्र में यह अंकित किया है कि भूमि पर नंगा पुत्र रामा बंजारा अतिक्रमी है। इससे यह साफ जाहिर है कि वादी लगातार भूमि पर अतिक्रमी भी नहीं रहा है।

16- परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12-4-2012 में तनकीवार विवेचन करते हुए वाद वादीगण खारिज किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30-4-2013 में परीक्षण न्यायालय द्वारा बनाई गई तनकियों पर पुनः विवेचना करते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री का समर्थन किया है साथ ही अन्त में अंकित किया है वादीगण आवंटन शुदा भूमि पर लगातार काबिज नहीं होने से, राजस्व रिकार्ड में भूमि चरागाह दर्ज होने से वादी घोषणात्मक दावे में अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। जो कि उचित निर्णय पारित किये है। पुनरावलोकन प्रार्थनापत्र में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 25-6-2017 में पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र (रिव्यू) का दायरा सीमित न देखते हुए नये सिरे से अपील का दस्तावेजों की गलत व्याख्या करते हुए अपने ही पूर्व निर्णय को अपास्त कर उसे परिवर्तित कर परीक्षण न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड करने का निर्णय पारित किया है, जो कि उचित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

17- इस संबंध में यह भी उल्लेखित है कि नजरसानीधीन प्रार्थनापत्र में पुनः सुनवाई कर अपील की तरह निर्णय पारित नही किया जा सकता है। नजरसानीधीन निर्णय में यदि किसी प्रकार की प्रत्यक्षतः दिखाई देने वाली त्रुटि अथवा अन्य कोई सारभूत त्रुटि नही हो तो उस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता परन्तु हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पूर्णतया परिवर्तित कर नये सिरे से निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस संबंध में डी0एन0जे0 2014(1)(एस.सी.)पेज 40 एवं डी0एन0जे0 2012(2)(एस. सी.)पेज 456 न्यायिक दृष्टान्त को उल्लेखित किया जाना उचित प्रतीत होता है, जो निम्नानुसार है।

DNJ 2014 (1) (SC) Page-40-
(A)- Civil Procedure Code, 1908-O.47R.1- Review- Scope is very limited- Review is not an appeal and jurisdiction can be exercised only when there is an error apparent on face of the record- Rehearing of the old grounds or minor mistakes is not permissible.
(B)- Civil procedure code,1908- O.47R.1- Review- grounds for-explained.

DNJ 2012 (2) (SC) Page-456-
Review petition is not an appeal or a revision to a superior Court but a request to the same Court to recall or re- consider its decision.

18– अधीनस्थ न्यायालय ने नजरसानी प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है, क्योंकि पूर्व में उन्होंने स्वयं के स्तर से भी तनकियों पर नये सिरे से विवेचना करते हुए वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य माना है। अतः राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

19– परिणामतः राज्य सरकार द्वारा पेश अपील सं0 499/2016 स्वीकार की जाती है तथा वादीगण द्वारा पेश अपील सं0 4646/2021 खारिज की जाती है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पुनरावलोकन प्रार्थनापत्र सं0 23/2013 में पारित निर्णय दिनांक 25–6–2015 निरस्त किया जाता है एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पूर्व में अपील में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–4–2013 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–4–2012 बहाल रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(डॉ महेन्द्र लोढ़ा)**
**सदस्य**

**(श्री रामनिवास जाट)**
**सदस्य**